(कार्य)ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

3/41/23 तारीख रजू..........................

बलराम बनाम बसोरा वगैरा

(तार)ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.12.23	वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA प्रार्थी की ओर से श्री सुभाष कठूमर एड० ने प्रार्थी की ओर से पेश किया गया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण को रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 02.1.24 को पेश हो। SDM	
2.1.24	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक ....15.12.23 की पालना में पत्रावली वास्ते ....तलबी रजि०डाक दिनांक ....15.1.24 ....को पेश हो। (उपख)ण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/1/24	........वकील प्रार्थी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक........ की पालना में पत्रावली वास्ते ....तलबी रजि डाक दिनांक ....23/1/24 ....को पेश हो। (उपखण्ड) अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23/1/24	मुकदमा पेशीकार... हाजिर अप्रा... वास्ते ... तारीख 19/3/24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.01 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested

(रा नम्बर / प्रार्थी की / रहा है। / काश्त / नम्बर / कच्ची / मिला / लदार / श्रीमान / ण ने / की / ाईस)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या 3 / 20 / 2022 दायर दिनांक 15 / 07 / 2022
जीसीएमएस न0 –2021 / 142 निर्णय दिनांक 04.04.2024

बउनवान

1. बलराम पुत्र नेतराम जाति मीना निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. कजोड़ा पुत्र धासी जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
2. खज्जू पुत्र मन्नू जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
3. गैंदा पुत्र धासी जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
4. धनपाल पुत्र भौरेलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
5. भरतलाल पुत्र मन्नू जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
6. मोहनलाल पुत्र भौरेलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर।
7. मोहरसिंह पुत्र भौरेलाल जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित:– श्री सुभाषचन्द कठूमर – अधिवक्ता प्रार्थीयान

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 179 / 268 रकवा 0.51 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर मे स्थित है। जो आराजी प्रार्थी की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। जिस पर प्रार्थी काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर [illegible] तहसील कठूमर अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर अ[illegible] काबिज [illegible]र काश्त करता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 179 / 268 खसरा नम्बर 185 के मिडवा स्थित [illegible] व अप्रार्थी के दोनों खेतों के बीच पहले कच्ची मेड स्थित थी जिस [illegible] जुताई कर स्वंय के खेत में मिला लिया तथा व[illegible] नहीं है। जिस कारण प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार कठूमर को पैमाईस कराने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर पैमाईस प्रार्थना पत्र पर श्रीमान तहसीलदार कठूमर द्वारा पैमाईस आदेश दिनांक 9.6.2022 को पैमाईस कराई गई तथा अप्रार्थीगण ने जवरन प्रार्थी को खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 179 / 268 वाके ग्राम उदपुरा पर जबरन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा कि दोनों के खेतों की पैमाईस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.01 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested

चाहता है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी की पैमाइस कराकर सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तामीली नोटिस जरिये डाक भिजवाया गया। दिनांक 19.3.2024 को अप्रार्थीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही आये। अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल व छाया प्रति नक्शा ट्रेस इंतकाल नं0 452, 449, 448, वाके ग्राम उदयपुरा एवं मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट की छाया प्रति वाके ग्राम उदयपुरा पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। मुताविक जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 179/268 ग्राम उदयपुरा तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। मुताविक नक्शा ट्रेस इस आराजी के तरफ पूर्व में खसरा नम्बर 185 वाके ग्राम उदयपुरा स्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा दोनों खेतों के मध्य पुरानी कच्ची डौल को ट्रेक्टर से जोत कर अपने खेत में मिलाना कथन किया है तथा यह भी कथन किया कि मौके पर वर्तमान में दोनों खेतों के मध्य कोई मेड नहीं है। जिसके लिये प्रार्थी ने पैमाइस कराने व सीमाज्ञान के पश्चात व सीमाज्ञान को ध्यान में रखते हुए पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइस रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 179/268 रकबा 0.51 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरा की पैमाइस कर खसरा नम्बर 185 व खसरा नम्बर 179/268 वाके ग्राम उदयपुरा के बीच विधि के अनुसार पैमाइस/सीमाज्ञान कराकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज दिनांक 04.04.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/4/24

सुखाराम पिण्डेल

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.01 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested

23/3/24

आदेश उपखण्ड अधि./P.O. ...
पत्रावली दिनांक 4/4/24
को पेश हो

4/4/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की स्वतंत्रीय बहस सुनी गई। पत्रावली के शामिल प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पैमाइश रिपोर्ट के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनने पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० कि० किया गया। इस आदेश की तहरीर तहसीलदार ... को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

04/4/24
SDM

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.01 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested